न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 185/2023

अनवान : –

1. सन्तोष कुमारी पत्नी महेश चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 14/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता संख्या 52/1 की कुल 6.7020 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में वादिया का 670/351 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में शशि पत्नी महेशचन्द्र दर्ज है जबकि वादीया का नाम शैक्षणिक व पैन कार्ड, आधार कार्ड में सन्तोष कुमारी दर्ज है चुकि प्रार्थीया के देवर का नाम संतोष था इसलिए ससुराल मे शशि नाम रख दिया आधार कार्ड में संतोष उर्फ शशि दर्ज था किन्तु केन्द्रीय सरकार के नियमों से पैन कार्ड, आधार कार्ड में एक जैसी प्रविष्ट होना आवश्यक हो गया है इसलिए वादिया ने आधार कार्ड दुरूस्त करवाकर सन्तोष उर्फ शशि की जगह सन्तोष कुमारी शर्मा दर्ज करवा लिया किन्तु राजस्व रिकार्ड में शशि नाम दर्ज रह जाने के कारण केन्द्रीय सरकार की योजनओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा अतः न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड में शशि की जगह सन्तोष कुमारी दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्ता वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया का सही नाम मुताबिक समस्त दस्तावेजात सन्तोष कुमारी है जबकि राजस्व रिकार्ड में शशि पत्नी महेशचन्द्र है जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीया अपनी खाते के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता संख्या 52/1 की कुल 6.7020 हैक्ट भूमि संयुक्त खाता में वादिया का 670/351 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम शशि पत्नी महेशचन्द्र दर्ज है जबकि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादीया का नाम सन्तोष कुमारी पत्नी महेश दर्ज है अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनतोष स्वीकार किया जाकर में **वादीया का नाम शशि पत्नी महेशचन्द्र के स्थान पर संतोष कुमारी पत्नी महेशचन्द्र के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शशि पत्नी महेशचन्द्र के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शशि पत्नी महेशचन्द्र के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम शशि पत्नी महेशचन्द्र ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

पंकज गढ़वाल (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 185/2023
अनवान : –

1. सन्तोष कुमारी पत्नी महेश चन्द्र जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 185 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023 14/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर **वादीया का नाम शशि पत्नी महेशचन्द्र के स्थान पर संतोष कुमारी पत्नी महेशचन्द्र के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शशि पत्नी महेशचन्द्र के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शशि पत्नी महेशचन्द्र के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम शशि पत्नी महेशचन्द्र ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 14/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

पंकज गढ़वाल (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:03 IST
Reason: SelfAttested